(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1144-दो/2007 अपील - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-6-2007 - पारित द्वारा - बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 34/1993-94 अपील

1- रंगदेव 2- बल्देव सिंह पुत्रगण स्व.जोखन सिंह
3- जयसिंह 4- मणिराज सिंह पुत्रगण मनमहोरन सिंह
5- सत्यसूदनसिंह पुत्र राम सिंह सभी ग्राम पोखरा
तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

1- पण्डा सिंह 2- जीवन सिंह पुत्रगण जगन्नाथ सिंह
3- बैजनाथ सिंह मृत वारिस
क- महिला बूटी पत्नि स्व. बैनाथ सिंह
ख- रामखिलावन सिंह ग- गंगा सिंह
पुत्रगण स्व. बैनाथ सिंह
4- सुखभान सिंह 5- उदयभान सिंह 6- शिववालक सिंह
सभी पुत्रगण शंभू सिंह
7- बीकुसिंह 8- लखन सिंह पुत्रगण पतिराज सिंह
ग्राम पोखरा तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश ---रिस्पाण्डेन्ट

(आवेदक के अभिभाषक श्री अभय सक्सैना)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 07-08-2018 को पारित)

यह अपील बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 34/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट्स ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम पोखरा की कुल किता 18 कुल रकबा 36-43 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि के भूमिस्वामी सवाईलाल सिंह पुत्र सीताराम शासकीय अभिलेख अनुसार थे जिनकी मृत्यु हो गई है। अपीलांट्स उनके बॅशज है इसलिये अधिकार अभिलेख तैयार करने में सवाईलाल के बजाय उनका नाम लिख दिया जाय। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 2 स-129/1992-93 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 25-11-1993 पारित करके अपीलांट्स का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विवादित भूमि पर मृतक सवाईलाल की सहमति पत्र दिनांक 16-8-67 से रिस्पाण्डेन्टस का नामानतरण राजस्व निरीक्षक व्दारा आदेश दिनांक 30-9-1975 से किया जा चुका है इसलिये रिस्पा0 के नाम की प्रविष्टि लम्बा समय गुजर जाने के कारण निरस्त करना संभव नहीं है। राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को होगी। बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 25-11-1993 के विरूद्ध प्रथम अपील बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 34/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2007 से राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 30-9-1975 तथा बंदोवस्त अधिकारी सीधी का आदेश दिनांक 25-11-1993 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 4-6-2007 से राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 30-9-1975 इस आधार पर निरस्त किया है क्योंकि सवाई लाल के सहमति पत्र दिनांक 16-8-67 के आधार पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 30-9-75 से वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण किया है जबकि सवाईलाल व्दारा एक रूपये की अंतरण डीड लिखी थी और इस सहमति डीड

पर हस्ताक्षर नहीं थे अपितु सहमत शब्द लिखा है। बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 4-6-2007 में विवेचित किया है कि संहिता की धारा 109 (1) में प्रयुक्त शब्द ' विधि पूर्वक ' महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अधिकार विधि पूर्वक अर्जित किया जाता है विधिपूर्वक अर्जन के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही की जावेगी और जो अधिकार या हित विधि के विरुद्ध अर्जित किया गया हो, उसे कोई मान्यता नहीं मिल सकती। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक व्दारा विधिपूर्वक भूमि अर्जन न होने पर भी रिस्पा. का नामान्तरण किया गया था जिसके कारण बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 4-6-2007 से राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 30-9-1975 को निरस्त किया है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट्स ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी को आवेदन देकर मांग की है कि ग्राम पोखरा की कुल किता 18 कुल रकबा 36-43 एकड़ भूमि के भूमिस्वामी सवाईलाल सिंह पुत्र सीताराम की मृत्यु हो गई है। अपीलांट्स उनके बॅशज है इसलिये अधिकार अभिलेख तैयार करने में सवाईलाल के बजाय उनका नाम लिखा जाय, जबकि आवेदित दिनांक को शासकीय अभिलेख में सवाईलाल भूमिस्वामी अंकित नहीं थे। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने आदेश दिनांक 25-11-93 में निष्कर्ष दिया है कि सवाईलाल सिंह व्दारा सहमति पत्र दिनांक 16-8-67 के आधार पर अनावेदकगण के नाम भूमि हो गई है इतनी लंबी अवधि के वाद पूर्व प्रविष्टि निरस्त करना संभव नहीं है। जब बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष यह तथ्य प्रकट हो चुका था कि राजस्व निरीक्षक ने एक रूपये की अंतरण डीड, जिसमें सहमति के हस्ताक्षर नहीं थे अपितु सहमत शब्द लिखा है, के आधार पर बिना हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये राजस्व निरीक्षक ने त्रृटिपूर्ण ढंग से नामान्तरण नियमों के विपरीत जाकर रिस्पा. का नामान्तरण किया है , उनका दायित्व था कि ऐसे दोषपूर्ण नामांत्रण आदेश को निरस्त करना चाहिये था, किन्तु उन्होंने मात्र अपीलांट्स का नामान्तरण आवेदन निरस्त करते हुये राजस्व निरीक्षक के दोषपूर्ण आदेश को अपील के अभाव में यथावत् रखने की त्रृटि की थी। जहां तक वादग्रस्त भूमि में स्वत्वार्जन का प्रश्न है - स्वत्व का मामला विनिश्चित् करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है जिसके कारण बंदोवस्त आयुक्त,

म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 4-6-2007 से बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25-11-93 को एंव राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 30-9-1975 त्रृटिपूर्ण एंव नियम विरूद्व पाने से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 34/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर